



## थाना एरच-जनपद झाँसी प्रेस नोट



दिनाँक 17.04.2025

### थाना पुलिस द्वारा केश नं० 1410/11 अ०सं०-137/11 धारा 401 भादवि० से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ अधीक्षक महोदय झाँसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गरौठा महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय एरच के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर अपराध व अराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वारण्टी अभियुक्त- भगवती केवट पुत्र रामसेवक केवट नि० मु० मलाहीटोला कस्बा व थाना एरच जनपद झाँसी सम्बन्धित वाद संख्या 1410/11 अ०सं०-137/11 धारा 401 भादवि०को गिरफ्तार कर मा०न्याया० के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**संक्षिप्त विवरण** –मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम महोदय गरौठा द्वारा निर्गत वारण्ट आदेश के क्रम मे वारण्टी अभियुक्त- नरेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल नि० ग्राम गौती थाना एरच जनपद झाँसी को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय गरौठा के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

भगवती केवट पुत्र रामसेवक केवट नि० मलाहीटोला कस्बा व थाना एरच जनपद झाँसी

### **सहयोग करने वाली टीम:-**

थानाध्यक्ष नीलेश कुमारी

उ०नि० राकेश कुमार सिंह

का० 463 अजयपाल

का० 786 संदीप कुमार

# थाना एरच

